क्रम संख्या–214

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/02
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, शनिवार, 21 दिसम्बर, 2002 ई0
अग्रहायण 30, 1924 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 459/विधायी एवं संसदीय कार्य/2002
देहरादून, 21 दिसम्बर, 2002

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 (संशोधन) अधिनियम, 2002 को दिनांक 21–12–2002 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 16, सन् 2002 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) अधिनियम, 2002

(उत्तरांचल अधिनियम संख्या 16, सन् 2002)

(भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में विधान सभा द्वारा अधिनियमित)

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 का उत्तरांचल राज्य के लिए अग्रेतर संशोधन करने के लिए–

अधिनियम

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) अधिनियम, 2002 कहलायेगा।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में लागू होगा।

(3) यह 01 अक्टूबर, 2002 में प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

अधिनियम संख्या 4, सन् 1910 की धारा 60, 63 व 68 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 (अधिनियम संख्या 4, सन् 1910) जिसे आगे मूल अधिनियम कहा जायेगा, की धारा 60, 63 व 68 के स्थान पर निम्नलिखित धारा 60, 63 व 68 को रख दिया जायेगा अर्थात् :–

धारा–60 का संशोधन

60. अवैध आयात, निर्यात, परिवहन, निर्माण कब्जा, विक्रय आदि के लिए शास्ति –– (1) जो व्यक्ति इस अधिनियम का या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये किसी आदेश का, अथवा इसके अधीन प्राप्त किसी लाईसेंस, परमिट या पास का उल्लंघन करके ––

(क) चरस से भिन्न किसी मादक वस्तु का आयात, निर्यात या परिवहन करता है या उसको अपने कब्जे में रखता है, या

(ख) भांग (कैनेबिस सैटाइवा) की खेती करता है, या

(ग) भांग (कैनेबिस सैटाइवा) के किसी ऐसे भाग का संग्रह या विक्रय करता है, जिससे कोई मादक भेषज निर्मित किया जा सकता है, या

(घ) कोई आसवनी, यवासवनी या द्राक्षासवनी निर्मित करता है या चलाता है, या

(ङ) किसी प्रकार का कोई सामान, भभका, बर्तन, औजार या उपकरण ताड़ी से भिन्न किसी मादक वस्तु के निर्माण के लिए प्रयुक्त करता है या अपने पास या अपने कब्जे में रखता है, या

(च) इस अधिनियम के अधीन लाईसेंस प्राप्त, स्थापित या चालू किसी आसवनी, यवासवनी, द्राक्षासवनी या भाण्डागार से कोई मादक वस्तु हटाता है, या

(छ) विक्रय के लिए किसी शराब को बोतल में बन्द करता है, या

(ज) धारा–61 में व्यवस्थित दशा के सिवाय किसी मादक वस्तु का विक्रय करता है, या

(झ) धारा 42 के अधीन अधिसूचित क्षेत्रों में ताड़ी पैदा करने वाले वृक्षों से ताड़ी चुआता है या निकालता है,

तो उसे कारावास का दण्ड दिया जायेगा जो दो वर्ष तक हो सकता है और अर्थदण्ड दिया जायेगा जो खण्ड (झ) के अधीन अपराध की स्थिति में ऐसे उत्पाद शुल्क की धनराशि जो, यदि ऐसी मादक वस्तु के सम्बन्ध में इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों और दिये गये आदेशों के अनुसार या इसके अधीन प्राप्त लाईसेंस, परमिट या पास के अनुसार कार्यवाही की गयी होती तो उद्ग्रहणीय होती, के दस गुने से कम न होगा ओर किसी अन्य स्थिति में ऐसे उत्पाद शुल्क की धनराशि के दस गुने या 5000/– रूपये से, जो भी अधिक हो, कम न होगा।

(2) जो कोई इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये आदेश या इस अधिनियम के अधीन प्राप्त किसी लाईसेंस, परमिट या पास का उल्लंघन करके किसी मादक वस्तु का निर्माण करता है, या किसी चरस का आयात, निर्यात या परिवहन करता है, या उसको अपने कब्जे में रखता है, उसे कारावास का, जो छः मास से कम नहीं होगा और जो तीन वर्ष तक हो सकता है, दण्ड दिया जायेगा और अर्थ दण्ड भी दिया जायेगा जो पांच हजार रूपये से कम नहीं होगा और जो दस हजार रूपये तक हो सकता है।

(3) जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या किये गये आदेश का उल्लंघन करके किसी मादक वस्तु का उपभोग करता है उसे अर्थदण्ड दिया जायेगा जो पांच हजार रूपये से कम नहीं होगा और जो दस हजार रूपये तक हो सकता है।

धारा 63 का संशोधन

63. अवैध रूप से आयात की गई मादक वस्तु आदि को कब्जे में रखने के लिए शास्ति – जो कोई व्यक्ति बिना वैध प्राधिकार के कोई मादक वस्तु किसी परिमाण में अपने कब्जे में यह जानते हुए कि उसे अवैध रूप से आयात किया गया है, उसका परिवहन किया गया है या उसे निर्मित किया गया

है या यह जानते हुये कि उस पर विहित उत्पाद–शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है, रखे तो उसे ऐसी अवधि के लिए कारावास का दण्ड दिया जायेगा जो एक वर्ष तक हो सकता है अथवा अर्थदण्ड दिया जायेगा जो पांच हजार रूपये से कम नहीं होगा और जो दस हजार रूपये तक हो सकता है या दोनो दण्ड दिये जायेगें।

धारा 68 का संशोधन

68. ऐसे अपराधों के लिए शास्ति जिनकी अन्यथा व्यवस्था न की गई हो — जो व्यक्ति इस अधिनियम के, अथवा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये किसी आदेश के किन्ही उपबन्धों के उल्लंघन में किसी कार्य का या साभिप्राय कार्य लोप का जिसकी इस अधिनियम में अन्यथा व्यवस्था न की गयी हो, दोषी हो, उसे प्रत्येक कार्य या कार्यलोप के लिए अर्थदण्ड दिया जाएगा जो पांच हजार रूपये से कम नहीं होगा और जो दस हजार रूपये तक हो सकता है।

निरसन **3. अध्यादेश संख्या 08, वर्ष 2002 एतद्द्वारा निरसित समझा जाय।**

आज्ञा से,

(यू0 सी0 ध्यानी)
अपर सचिव।

No. 459/Vidhayee And Sansadiya Karya/2002
Dated Dehradun, December 21, 2002

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Excise Act, 1910) (Amendment) Act, 2002 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 16 of 2002).

As passed by the Uttaranchal Legistaative Assembly and assented by the Governor on December 21, 2002.